UPBS010045932022

न्यायालय द्वितीय अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2, जनपद बस्ती।
पीठासीन अधिकारी- जितेन्द्र गुप्ता, (एच०जे०एस०) UP2665

सिविल अपील संख्या-39/2022

रामफेर आदि----------बनाम ----------तुलसीराम आदि ।

दिनॉक **30.04.2026**

पत्रावली पेश हई। पुकार करायी गयी । पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र व 41 ग 2 पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र 41 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त मुकदमा मे निवेदन है कि दिनांक 16–7–2023 को विपक्षी संख्या 3 की मृत्यु हो गयी उनका वरासत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 23 क दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र में कुछ गलती थी जिसका संशोधन किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र मे तमाम कटिंग हो गयी जिससे माननीय न्यायालय ने यह निर्देश देते हुए खारिज कर दिया कि दूसरा प्रार्थना पत्र दीजिए। हालांकि माननीय न्यायालय के आदेश के तुरन्त बाद दूसरा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 36 क दिया गया जो काल बाधित है प्रार्थी ने जानबूझ कर कोई गलती नही किया बल्कि त्रुटिबश मूल प्रार्थना पत्र मे कमी रह गयी थी जिसको सुधारने मे विलम्ब हो गया। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र कागज संख्या 36 क 2 को देने मे हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभदेते हुए प्रार्थना पत्र 36 क स्वीकार किये जाने का आदेश होना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र कागज संख्या 36 क मे देने मे हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देकर प्रार्थना पत्र कागज संख्या– 36 क स्वीकार किये जाने याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 41 ग 2 के माध्यम से विपक्षी सं० 3 की मृत्यु हो गयी उनका वरासत प्रार्थना पत्र कागज सं० 23 क 2 दिया गया था उक्त प्रार्थना पत्र में कुछ गलती थी जिसका संशोधन किया गया, माननीय न्यायालय के निर्देश पर दूसरा प्रार्थना पत्र 36 क 2 दिया गया,जो कालबाधित है, जानबूझकर कोई गलती नहीं किया गया । प्रार्थना पत्र 41 ग 2 मय शपथ पत्र 42 ग 2 प्रस्तुत करते हुए धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देने की बात कही गई। अपीलान्ट को धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 41 क^{2} न्यायहित में स्वीकार जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 41 ग^{2} न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 19.05.20263 को पेश हो।

(जितेन्द्र गुप्ता)
द्वितीय अपर जनपद न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–2,बस्ती।
J.O. Code–U.P.2665